न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
022/2021 (रसद) (GCMS 2021/439)	12.11.2021	22.12.2021

अनवान

भारतसिंह पिता शोभाराम मीणा जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी देवलखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :- आरएस चूण्डावत — अधिवक्ता अपीलार्थी
हितेश जोशी — पैरोकार सरकार

अपील विरूद्ध निर्णय जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 076/2020 दिनांक 05.04.2021 अन्तर्गत राजस्थान फूड ग्रेन्स एण्ड अदर एजेन्सीज आर्टीकल (रेगुलेशन) ऑर्डर 1972 के नियम 22

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी चित्तौडगढ के निर्णय दिनांक 05.04.2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार देवलखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के प्राधिकार पत्र क्रमांक 29/2003 निरस्त करने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त करने का निर्णय पारित किया गया जो निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय बिना अपीलार्थी को बिना जवाब प्रस्तुत कर बिना बहस सुने एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना मन मकसुद एवं एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 05.04.2021 को जारी आदेश दिनांक रसद कार्यालय द्वारा दिनांक 20.09.2021 को जरिये एक रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी/अपीलाण्ट को भेजा जो अपीलाण्ट को दिनांक 28.09.2021 को प्राप्त हुआ जिसमे बताया गया की मोबाईल फोन नहीं उठाता है तथा पखवाड़े में दुकान बन्द होना मानकर व कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का मानकर एवं प्रार्थी की गम्भीर अनियमितता किये जाने से इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.04.2021 को पारित निर्णय अनुसार राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

1976 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डीलर की समस्त जमा प्रतिभूति राशि जप्त करते हुये उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया है जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा कभी भी कोई अनियमिता नहीं की गयी है एवं न ही राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 की शर्तो का उल्लंघन किया है फिर भी जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा सही जांच नहीं कर झूठे आरोपों के आधार पर अपीलार्थी का लाईसेन्स निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का जो निर्णय पारित किया गया वह निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी/अपीलाण्ट के विरूद्ध मन मकसुद बिना सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा कार्यवाही कर प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। प्रार्थी को बिना नोटिस दिये बिना जवाब लिये न ही कोई साक्ष्य सबुत गवाहान पेश करने का अवसर दिये, बिना बहस सुने अपने मनमकसुद तरीके से कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की अवधि में पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही कर राजनैतिक प्रभाव में आकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा नियमित रूप से उचित मुल्य की दुकान का संचालन करता हुआ गेंहु, केरोसीन आदि का वितरण करता आ रहा है किसी भी प्रकार से अनियमितता नहीं की है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा सही जांच नहीं कर एक पक्षीय बिना साक्ष्य सबुत व सुने अपीलाण्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। विधि का यह सुनिश्चित सिद्धान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जायेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। इस कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरस्त होने योग्य है। क्षेत्र के सभी उपभोक्ता अपीलार्थी के कार्य व व्यवहार से सन्तुष्ट है जिसका एक बड़ा प्रमाण अपीलार्थी का 18 वर्षो से अधिक समय से लगातार उचित मुल्य दुकानदार बने रहना है जिला रसद अधिकारी द्वारा न तो जांच अधिकारी की मौजुदगी में की गयी न ही गवाहान के बयान अपीलार्थी के समक्ष हुये न ही कोई कार्यवाही या मौका रिपोर्ट अपीलार्थी के समक्ष व जानकारी में बनायी केवल मन मकसुद तरीके से गवाहान के बयान व रिपोर्ट अपीलाण्ट के विरूद्ध तैयार की गयी जो निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी द्वारा न तो उक्त प्रकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध मे प्रार्थी/अपीलाण्ट को सुचना दी न ही कोई नोटिस दिया न ही जवाब हेतु पुर्ण अवसर दिया न ही निर्णय अपीलार्थी की मौजुदगी में सुनाया कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में भी बिना अपीलार्थी को सुने निर्णय पारित किया जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गयी व बाद में अपीलार्थी को पता चला उक्त देवलखेडी उचित मुल्य दुकान हेतु नवीन वेकेन्सी जारी करने पर आमादा है जिसका पता चलते ही अपीलाण्ट द्वारा विभाग में आकर पता किया तो कर्मचारियों ने बताया की आपका लाईसेन्स तो निरस्त कर दिया है तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा आनन फानन में दिनांक 05.04.2021 का जारी आदेश मुझ प्रार्थी को दिनांक 20.09.2021 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया उक्त नोटिस मुझ प्रार्थी को दिनांक 28.09.2021 को प्राप्त हुआ। अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत है फिर भी कानूनी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अडचनों से बचने के लिये दफा 5 कानुन मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र के साथ अलग से पेश है। अपीलार्थी ने खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नहीं की अनजाने में प्रकिया सम्बन्धी प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके लिये प्रताडना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है कि अपील हेतु निर्धारित समय सीमा समाप्ति पूर्व ही इस उचित मुल्य दुकान की वेकेंसी निकालने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 029/2003 बहाल फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की और से पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/रसद/प्रा.धि./2021/4386 दिनांक 30.11.2021 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 076/2019 निर्णय दिनांक 05.04.2021 अनवानी सरकार बनाम भारतसिंह प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 22.12.2021 को पैरोकार सरकार ने प्रकरण में सीधे बहस कि[illegible] जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से पत्रावली में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप की जाकर प्रकरण को सीधे बहस हेतु रखा गया। वकील अपीलार्थी द्वारा दिनांक [illegible] 12.2021 को प्रकरण में लिखित बहस पत्रावली पेश की गई जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा [illegible] मियाद प्रार्थना पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों [illegible] दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रार्थी/अपीलाण्ट को सुचना दी न ही कोई नोटिस दिया न ही जवाब हेतु पुर्ण अवसर दिया न ही निर्णय अपीलार्थी की मौजुदगी में सुनाया कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन में भी बिना अपीलार्थी को सुने निर्णय पारित किया जिसकी अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी गयी व बाद में अपीलार्थी को पता चला उक्त देवलखेडी उचित मुल्य दुकान हेतु नवीन वेकेन्सी जारी करने पर आमादा है जिसका पता चलते ही अपीलाण्ट द्वारा विभाग में आकर पता किया तो कर्मचारियों ने बताया की आपका लाईसेन्स तो निरस्त कर दिया है तथा जिला रसद अधिकारी द्वारा आनन फानन में दिनांक 05.04.2021 का जारी आदेश मुझ प्रार्थी को दिनांक 20.09.2021 को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया उक्त नोटिस मुझ प्रार्थी को दिनांक 28.09.2021 को प्राप्त हुआ। जिसका

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

पता चलते ही अपीलाण्ट द्वारा विभाग में आकर पता किया तो कर्मचारियो ने बताया की आपका लाईसेन्स तो निरस्त कर दिया गया फिर अपीलार्थी द्वारा निर्णय की नकल ली गयी व अपने अधिवक्ता से मिल पत्रावली व निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया व निर्णय की प्रति मिलते ही अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया है, अपीलांट/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा तथा बाद में जानबूझकर अनुपस्थित रहा जिससे न्यायालय द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर निर्णय दिनांक 05.04.2021 पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट ने अपीलांट का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्रों का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला रसद अधिकारी, नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना ही उचित प्रतीत होता है, अतः अपील प्रस्तुती के हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद अवधि शुमार की जाती है।

इस के पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई मौखिक बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी बहस पत्रावली में लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार देवलखेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के प्राधिकार पत्र क्रमांक 29/2003 निरस्त करने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त करने का निर्णय पारित किया गया जो निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय बिना अपीलार्थी को बिना जवाब प्रस्तुत कर बिना बहस सुने एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना मन मकसुद एवं एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। जिला रसद अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा दिनांक 05.04.2021 को जारी आदेश दिनांक रसद कार्यालय द्वारा दिनांक 20.09.2021 को जरिये एक रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी/अपीलाण्ट को भेजा

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

जो अपीलाण्ट को दिनांक 28.09.2021 को प्राप्त हुआ जिसमे बताया गया की मोबाईल फोन नहीं उठाता है तथा पखवाड़े में दुकान बन्द होना मानकर व कार्यालय में उपस्थित नहीं होने का मानकर एवं प्रार्थी की गम्भीर अनियमितता किये जाने से इस कार्यालय द्वारा दिनांक 05.04.2021 को पारित निर्णय अनुसार राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन 1976 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये डीलर की समस्त जमा प्रतिभूति राशि जप्त करते हुये उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया है जबकि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा कभी भी कोई अनियमिता नहीं की गयी है एवं न ही राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 की शर्तो का उल्लंघन किया है फिर भी जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा सही जांच नहीं कर झूठे आरोपों के आधार पर अपीलार्थी का लाईसेन्स निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त करने का जो निर्णय पारित किया गया वह निरस्त होने योग्य है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन की अवधि में पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही कर राजनैतिक प्रभाव में आकर निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा नियमित रूप से उचित मुल्य की दुकान का संचालन करता हुआ गेंहु, केरोसीन आदि का वितरण करता आ रहा है किसी भी प्रकार से अनियमितता नहीं की है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी द्वारा सही जांच नहीं कर एक पक्षीय बिना साक्ष्य सबुत व सुने अपीलाण्ट के विरूद्व निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। विधि का यह सुनिश्चित सिद्वान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। इस कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय निरस्त होने योग्य है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.04.2021 निरस्त किये जाने योग्य है।

इस पर पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली में निवेदन किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर ही विस्तृत जांच की गई जिसमें उपभोक्ताओं के, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति उचित व्यवहार नहीं करना, एवं नियमित गेहूं एवं अतिरिक्त गेहूं का वितरण नहीं किया जाना और गेहूं के बदले नकद राशि का भुगतान करना तथा कुछ उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी बताये गेहूं का ट्रांजेक्शन करना गवाहानों के बयान के आधार पर प्रमाणित पाया गया है जो कि राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो के उल्लंघन में आता है। अतः प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण एवं प्रतिभूति राशि जब्ती हेतु पारित आदेश दिनांक 05.04.2021 विधि-सम्मत् होने से अपील निरस्त फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि विधि का यह सुनिश्चित सिद्वान्त है कि स्वयं जांचकर्ता व कार्यवाही कर्ता स्वयं पक्षकार व उसके अधीन अधिकारी है

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(लारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

उन्ही के द्वारा जांच रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जावेगा तो ऐसा निर्णय एवं की गयी कार्यवाही निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हो सकती जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही न तो निष्पक्ष है न ही उनके द्वारा पारित निर्णय निष्पक्ष कार्यवाही पर आधारित है। अपीलार्थी ने खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के किसी भी प्रावधान, अनुच्छेद का या प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन या अवहेलना नहीं की गयी। अपीलार्थी का ऐसा कोई कृत्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नही है कि अपीलार्थी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य किया हो या कोई अपराध किया हो, प्रकिया सम्बन्धी कोई त्रुटि भी नही की अनजाने मे प्रकिया सम्बन्धि प्रथम त्रुटि भी मानी जाती तो भी उसके लिये प्रताडना के साथ प्राधिकार पत्र को जारी रखने का अवसर न्यायहित में दिया जाना था फिर भी अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय देना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय का पूर्वाग्रह इससे भी प्रकट है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 029/2003 बहाल फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। हमने अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया।

प्रवर्तन अधिकारी भदेसर के पत्र दिनांक 17.12.2020 के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा जिला रसद अधिकारी को अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा राशन वितरण कार्य समय पर नहीं किया जा रहा है। 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के तहत उचित मूल्य दुकानदार द्वारा एक भी आधार सीडिंग नहीं करवाई गई, अभी तक 183 यूनिट की आधार सीडिंग शेष है, 157 व्यक्तियों की आधार सीडिंग भी कार्यालय द्वारा अन्य उचित मूल्य दुकानदार से करवाई गई है। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा अभी तक मृत्यु विवाहित या बोगस राशन कार्ड संबंधित सूचना भी नहीं दी गई। भारतसिंह से सम्पर्क करने पर मोबाईल नहीं उठाता एवं ग्राम तलाश करने पर भी उपभोक्ता पखवाडा में बिना सूचना के दुकान बंद होना पाया गया। इस पर जिला रसद अधिकारी द्वारा क्रमांक/रसद/ विधि/2021/488 दिनांक 12.01.2021 द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से जाहिर होता है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किसी भी नोटिस/आदेश की प्रति अपीलार्थी को प्रोपर तामील नहीं कराई गई। इसके साथ ही पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो कि प्रवर्तन अधिकारी के पत्र

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

दिनांक 17.12.2020 की पुष्ठि करता हो, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही उचित प्रतीत नहीं होती है। जिला रसद अधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 05.04.2021 में अंकित किया गया है कि "डीलर शराब पीन करने का आदि है इसके व्यवहार वितरण के बारे में कई बार कार्यालय में शिकाय प्रापत होती है ऐसी स्थिति में डीलर को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 29/2003 निरस्त किया जाता है। डीलर की जमा प्रतिभूति समस्त राशि जब्त की जाती है।" उक्त आदेश में किसी भी प्रकार का जवाब, तथ्य एवं साक्ष्य का विश्लेषण अधीनस्थ न्यायालय नहीं किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी का उक्त आदेश किसी भी प्रकार से न्यायिक आदेशों की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को दिनांक 24.11.2020, 12.01.2021 को कारण बताओ नोटिस/आदेश जारी किया गया है किन्तु उक्त कारण बताओ नोटिस/आदेश अपीलार्थी को तामील होने संबंधी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की धारा 8 (2) में अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र धारी को उसका अनुज्ञापत्र/ प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने का प्रावधान है जबकि हस्तगत प्रकरण में प्राधिकार पत्र धारी/अपीलार्थी को अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने संबंधी पारित निर्णय दिनांक 05.04.2021 से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.04.2021 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 076/2020 निर्णय दिनांक 05.04.2021 अनवानी सरकार बनाम भारतसिंह को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में विपक्षी को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुऐ अज-सर्रे नव Speaking and reasoned निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>22.12.2021</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official